जागरण : 25, जुलाई 2018

1. ताजमहल के आसपास बनेगा नो प्लास्टिक जोन (Pg1)

USE: PAPER III

Vision Document

- यमुना किनारे किसी तरह का निर्माण नहीं होने दिया जाए। ताज के आसपास प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग बंद किए जाने चाहिए।
- ताजमहल को टूरिजम हब बनाने की जरूरत।
- शिल्प ग्राम स्थापित किया जाए।

- ताज के आसपास के इलाके को नो प्लास्टिक जोन घोषित करने के साथ ही इसे नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया जाए। आगरा की ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलेट करने और गैर प्रदूषित तरीकों को बढ़ावा दिया जाए।

2. अब रिश्वत देने वाले को भी होगी जेल, बिल पारित (Pg1)

USE: PAPER II: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।, Laws

- भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का निपटारा अब दो साल के अंदर हो सकेगा। रिश्वत देने के दोषियों को अधिकतम सात साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था नए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक-2018 में की गई है।

3. मराठा आरक्षण आंदोलन तेज, दो और ने की जान देने कोशिश (Pg1)

USE: PAPER II (Social Justice)

4. **लाभ का पद मामला हाई कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ को ट्रांसफर (Pg2)**

5. प्रधानमंत्री ने रवांडा में भारतवंशियों के 'सकारात्मक प्रभाव' को सराहा (Pg3)

USE: GS PAPER II (International Relation, Indian Diaspora)

6. पीएम-रक्षामंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस (pg3)

USE: GS PAPER II, Prelims

- विशेषाधिकार

7. तीन से सात फीसद हुआ जेनरिक दवाओं का बाजार (Pg3)

Use: GS PAPER III

- जन औषधि केंद्रों
- जेनरिक

8. **लोकपाल पर केंद्र के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट**

USE: GS PAPER II, Prelims

- अनुच्छेद 142 की शक्ति

9. सबरीमाला ही क्यों, मस्जिदों में भी महिलाओं के प्रवेश पर है पाबंदी

Use: Gs Paper II

- पूरी दुनिया में महिलाएं मस्जिद जाती हैं सिर्फ भारत में महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश पर पाबंदी है। यह आस्था और विश्वास का मुद्दा है कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जब उन्होंने लंबे समय से बिना रुके लगातार चली आ रही परंपरा को आधुनिक मूल्यों पर न परखे जाने की दलील दी तो कोर्ट का जवाब था कि आधुनिक मूल्यों पर नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों पर इसे परखा जाएगा। 1950 में संविधान लागू होने के बाद सभी चीजें संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। बोर्ड साबित करे कि यह परंपरा धर्म का अभिन्न और जरूरी हिस्सा है।
- विश्वास में तर्क नहीं चलता। कोर्ट जनहित में तथ्यों की पड़ताल नहीं कर सकता। इसके लिए ट्रायल होना चाहिए, जहां सामग्री पेश की जाती है। उन्होंने कहा कि विश्वास के मामले में सिर्फ यह देखा जाएगा कि परंपरा लंबे समय से चली आ रही हो और अबाधित रही हो। विश्वास को आधुनिक प्रकृति पर नहीं परखा जा सकता।
- सबरीमाला ही नहीं हंिदू ुस्तान के किसी भी मंदिर में महिलाएं मासिक धर्म के दौरान नहीं जातीं। यह पुरुषों द्वारा लगाई गई रोक नहीं है, बल्कि महिलाएं स्वयं ही ऐसी स्थिति में मंदिर नहीं जातीं। इस पर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि महिलाएं सामाजिक दबाव के चलते नहीं जातीं। लड़की के जन्म लेते ही उसे सिखाया जाने लगता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना।
- सबरीमाला में रोक लिंग आधारित भेदभाव नहीं है। यह अयप्पा भगवान की ब्रम्हचारी प्रकृति और महिलाओं के 41 दिन लगातार व्रत न कर सकने के कारण है। मान्यता है कि वह उस दौरान पवित्र नहीं होतीं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बोर्ड ने 41 दिन के व्रत की असंभव शर्त रखी है।
- मुसलमानों में मुहर्रम पर हुसैन का नाम लेकर स्वयं को यातना देने के रिवाज । आधुनिक काल में इसे क्रूरता भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर उन लोगों से पूछा जाए तो वे इसे धार्मिक विश्वास कहेंगे। इस मामले को कोर्ट को धार्मिक संस्था को प्रबंधन के संविधान के अनुच्छेद 26 में मिले अधिकार के पहलू से परखना चाहिए।

10. राजस्थान सरकार ने माना, पुलिस हिरासत में हुई अकबर की मौत (Pg 5)

Use: GS PAPER II: Police Reform

11. Namami Gange (pg 7)

Use: GS PAPER II

12. हिंसक भीड़ से हारता कानून (pg 10)

GS PAPER III: Internal Security, Gs Paper II: Judiciary

What is the Issue: राजस्थान के अलवर जिले में भीड़ के हाथों गो-तस्कर के संदेह में अकबर खान को उस दिन मारा गया जिस दिन संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भीड़ की हिंसा का मामला उठा था और उसके चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अलग कानून बनाने को कहा था।

Police & Its Insensivity: अकबर की जान बचाई जा सकती थी, यदि अलवर पुलिस ने तत्परता और साथ ही संवेदनशीलता का परिचय दिया होता। पुलिस ने अकबर के पास से मिली गाय को पहले गोशाला पहुंचाया। इसके बाद उसे अस्पताल ले गई। तब तक देर हो चुकी थी।

No fear of law: जब उसकी पिटाई हो रही थी तो पीटने वाले यह भी कह रहे थे कि विधायक जी हमारे साथ है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता नहीं यह कितना सच है और हो सकता है कि इसमें विधायक जी की कोई गलती न हो, लेकिन यह मानने के पर्याप्त कारण हैंि कि कानून हाथ में लेने अर्थात अकबर खान की जान लेने वाली भीड़ को यह पता था कि इस कृत्य की कोई सजा नहीं मिलने वाली

जब कानून का शासन पंगु हो, जब दंड का भय न हो और जब यह यकीन हो कि हिंसक व्यवहार को सराहा जाएगा तो फिर किसी अकबर को पीट-पीटकर मार देने में कथित लक्ष्य की त्वरित प्राप्ति दिखाई देने लगती है। नेताओं का दंगे में आरोपित लोगों के घर या जेल जाकर सहानुभूति दिखाना भी इसी कड़ी का हिस्सा जान पड़ता है। जब कानून का शासन पंगु हो, जब दंड का भय न हो और जब यह यकीन हो कि हिंसक व्यवहार को सराहा जाएगा तो फिर किसी अकबर को पीट-पीटकर मार देने में कथित लक्ष्य की त्वरित प्राप्ति दिखाई देने लगती है। नेताओं का दंगे में आरोपित लोगों के घर या जेल जाकर सहानुभूति दिखाना भी इसी कड़ी का हिस्सा जान पड़ता है।

Judicial delay also problem: आखिर उग्र भीड़ को कहीं से तो यह भरोसा रहा होगा कि उसकी गुंडागर्दी का कुछ लोग सीधे या फिर दबे-छिपे समर्थन करेंगे। अगर किसी नेता के संरक्षण-समर्थन का दावा करके सिस्टम को ठेंगा दिखाया जा सकता है तो यह जंगलराज की निशानी है। इस सिस्टम में पुलिस के साथ कानूनी प्रक्रिया भी शामिल है।

संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग...संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना में न तो भीड़ के न्याय के लिए कोई जगह है और न ही उसका परोक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन करने वाले नेताओं के लिए। इस प्रस्तावना में गाय के नाम पर मनमानी करने और कानून हाथ में लेने वालों के लिए भी कोई जगह नहीं। भारत के लोगों को यह फैसला करने का अधिकार नहीं कि कौन गो तस्कर है और कौन नहीं? उन्हें यह भी अधिकार नहीं कि वे किसी को महज शक के आधार पर घेर कर मारें, लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैंि और अब तो उनमें वृद्धि भी देखी जा रही है। दरअसल जब कानून बनाने वाले और उसका अनुपालन करने और कराने वाले एक भाव-भूमि में हों तो संविधान पुनर्परिभाषित होने लगता है। ऐसी हालत में यदि अदालतें भी अपना काम सही ढंग से न करें तो स्थितियां और खराब हो जाती हैं। दुर्भाग्य से वर्तमान में ऐसी ही स्थिति नजर आती है।

Tarnish International Image: भीड़ की हिंसा के बढ़ते मामले दुनिया में देश की बदनामी कराने वाले ही नहीं, आदिम युग की झलक पेश करने वाले हैं। कानून का लचर और निष्प्रभावी शासन देश को उस आदिम सभ्यता में ले जाने वाला है जिससे निकलने में हजारों साल लगे। दरअसल जब कानून प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करता और न्यायपालिका भी फैसले करने में जरूरत से ज्यादा समय लगा देती है तो न्याय मूकदर्शक बनने लग जाता है।

Judicial Guidelines not being implimented:

- पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायलय ने भीड़ की हिंसा के खिलाफ सख्त रुख तो दिखाया, लेकिन भीड़ की हिंसा के बढ़ते मामले बता रहे हैं कि उसके सख्त रुख का जमीन पर कोई असर नहीं। उसकी ओर से तो ऐसी कोई चेतावनी दी जानी चाहिए थी कि अगर भीड़ की हिंसा के मामले सामने आते है तो यह मानकर कि प्रशासन असफल रहा, एसपी और डीएम को अगले कुछ साल प्रोन्नति नहीं मिलेगी तो शायद सही संदेश जाता और लोग कानून हाथ में लेने से बचते। अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जहां तक भीड़ की हिंसा रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए दिशानिर्देशों की बात है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पुलिस सुधार पर 2006 में दिए गए उसके दिशानिर्देशों पर अब तक अमल नहीं हो सका है।

13. पिघलती बर्फ की तेज हुई तपिश (Pg 9)

Effect of Climate Change:

- ठंडे रहने वाले यूरोपीय देश भी इन दिनों गर्मी से बेहाल हैं। पिछले पखवाड़े में उत्तरी अमेरिका, कनाडा से लेकर यूरोप के तमाम शहरों में पारा काफी चढ़ गया।
- यही नहीं साइबेरिया और आर्कटिक जैसे सर्द इलाकों में तापमान में तेजी दर्ज की गई। उत्तरी अमेरिका के कैलीफोर्निया में 111 डिग्री फॉरेनहाइट तापमान दर्ज किया गया जो महाद्वीप पर अब तक का सर्वाधिक तापमान था। स्कॉटलैंड का मदरवैल शहर ने भी सबसे ऊंचे तापमान का अनुभव किया। वहां अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक 33.2 डिग्री तापमान रहा।
- ग्लासगो में यह 31.9 डिग्री जा पहुंचा। ओमान में 27 जून को रात में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 2 जुलाई को कनाडा के मांटियाल में रिकार्ड 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो 142 साल का उच्चतम स्तर रहा।
- यह तापमान में बढ़ोतरी का ही नतीजा है कि अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघलने की वजह से समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के तकरीबन 84 वैज्ञानिकों के शोध में यह खुलासा हुआ है कि बीते चार सालों में अंटार्कटिका की बर्फ तीन गुना ज्यादा तेज गति से पिघली है। आंकड़े गवाह हैं कि 2012 में जहां औसतन 7600 मीटिक टन बर्फ हर साल पिघल रही थी वहीं अब उसकी रफ्तार 21900 करोड़ मीटिक टन तक पहुंच गई है। बीते 25 वर्षो में तीन लाख करोड़ मीटिक टन से ज्यादा बर्फ पिघल चुकी है। वहीं बीते 25 सालों में समुद्र का जलस्तर भी सबसे बहुत तेजी से बढ़ा है

Effect of Climate Change:

- बर्फ पिघलने से समुद्र तटों पर तूफान और बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से चीन के शंघाई से लेकर अमेरिका के मियामी और न्यूयार्क, जापान के ओसाका और ब्राजील के रियो तक के डूबने का खतरा मंडराने लगा है।
- ब्रिटेन की ओपन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड केअध्ययन के अनुसार 2015 में पेरिस में हुए समझौते में तय लक्ष्यांे की समीक्षा के निष्कषों से पता चलता है कि वैश्विक तापमान को अगले 100 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देने के लक्ष्य हासिल कर लेने के बावजूद विश्व के संवेदनशील देशों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से जूझना पड़ सकता है। इसके अनुसार आर्कटिक और दक्षिण-पूर्व एशियाई मानसून क्षेत्र जैसे विश्व के क्षेत्रों में अपरिवर्तनीय क्षति की आशंका प्रबल है।
- इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, तथा पानी का सबसे ज्यादा खतरा है।
- यही नहीं उत्पादकता पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और पलायन की समस्या सबसे बड़ी चुनौती होगी। यहां पर औसत बारिश तकरीब 86 मिलीमीटर कम हो गई है और गर्मी और सर्दी के बीच तापमान की खाई भी लगातार घटती जा रही है।
- सर्दियों का मौसम अब सिकुड़ने लगा है जो पहले करीब 90 दिनों का होता था, वह अब घटकर केवल 65-70 दिनों का होकर रह गया है। अब तो अप्रैल में ही गर्मी की तेजी से शुरुआत हो जाती है।

Effect on India

- आइआइएम अहमदाबाद की मानें तो देश के सर्वाधिक प्रभावित दस राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के 346 ऐसे जिलों की पहचान की गई है जो मौसम के बदलाव के चलते 2045 तक सूखे के सबसे ज्यादा शिकार होंगे।
- जलवायु परिवर्तन के खतरे के चलते देश में 1000 से ज्यादा हॉटस्पॉट बन गए हैं। यदि विश्व बैंक की मानें तो अब तापमान में बढ़ोतरी के चलते मौसम का पैटर्न बदल रहा है।
- इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- इसकी देश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह देश की जीडीपी की कुल 2.8 फीसदी के बराबर होगी। जलवायु परिवर्तन के चलते 2050 में 60 करोड़ लोग इसके गंभीर रूप से शिकार होंगे।
- कहने का तात्पर्य यह कि इसके प्रभावों से देश की आधी आबादी का रहन-सहन प्रभावित होगा। यह एक गंभीर समस्या होगी। इससे निपटना आसान नहीं होगा। इसलिए समय रहते कव्व्छ उपाय करना बेहद आवश्यक होगा।

14. Pakistan Election (p11): Read Just Headline

GS PAPER II, GS PAPER III

15. डाटा पर पेटीएम व अमेरिकी कंपनियों में ठनी

USE: GS PAPER III (Data Localisation)

- भारतीयों के डिजिटल लेनदेन से जुड़े सभी डाटा देश में ही रखने के पक्ष में पेटीएम
- वीजा और मास्टरकार्ड जैसी पेमेंट कंपनियां नियम में छूट के लिए कर रही लॉबिंग

16. अमेरिका के लिए जरूरी हैं भारत के साथ बेहतर रिश्ते (pg13): Read completely

USE: GS PAPER II

17**. गोमुख से गंगासागर तक छह और सैंक्चुरी (Pg13)**

Use: Prelims

- नेशनल मिशन आफ क्लीन गंगा
- भारतीय वन्य जीव संस्थान
- गैंगेटिक डॉल्फिन
- राजाजी नेशनल पार्क

18. डोकलाम पर भूटान को पटाने में जुटा चीन (pg13)

Use: GS PAPER II

19. घातक स्तर तक पहुंच सकता है सागरों का अम्लीकरण (Pg14)

USE: GS PAPER III, Prelims

- र्तमान में जिस तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है उससे सागरों का अम्लीकरण स्तर घातक स्तर तक पहुंच सकता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्र बढ़ने पर सागरों का पानी

उसे वातावरण से अवशोषित करता है। इससे पानी अधिक अम्लीय हो जाता है और उसके पीएच स्तर में कमी आती है।

- कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सागरों के अम्लीकरण में इजाफे से समुद्री जीवन को खतरा पैदा होगा। वर्तमान में ही समुद्र पानी इतना अम्लीय हो चुका है कि कई जीवों के कवच नष्ट हो रहे हैं। इसके चलते उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो कई जीवों के लुप्त होने की नौबत आ जाएगी।
- शोधकर्ताओं ने आशंका जताई है कि जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है उससे वर्ष 2100 तक इसकी मात्र वातावरण में 930 पार्ट्स पर मिलियन तक पहव्ंच सकती है। वर्तमान में यह मात्र 400 पार्ट्स पर मिलियन है। इसी के साथ 2100 तक सागरों का पीएच स्तर 7.8 से कम हो जाएगा। वर्तमान में यह 8.1 है। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग भी जिम्मेदार है। ऐसी स्थितियों के कारण जब समव्द्री जीवन पर असर पड़ेगा तो इंसानों का जीवन भी प्रभावित होना तय है
- कोयला, तेल और गैसों के जलने से बनी कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा हिस्सा सागरों में मिल जाता है। औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद इसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। तब से अब तक करीब 525 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सागरों के द्वारा अवशोषित की जा चुकी है

TheCoreIAS